# BA (Hons.) PART –II, Paper- III


## डॉ0 गौतम कुमार

## अतिथि शिक्षक

## राजनीति विज्ञान विभाग

## आचार्य नरेन्द्र देव महाविद्यालय, शाहपुर पटोरी, समस्तीपुर


## मन्त्रिपरिषद का गठन, मन्त्रिपरिषद् की संरचना, मन्त्रिपरिषद् के कार्य एवं शक्तियॉ

**मन्त्रिपरिषद का गठन (Constitution of Council of Ministers)** – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में मन्त्रिपरिषद् का उल्लेख किया गया है। मन्त्रिमण्डल में केवल कैबिनेट मंत्री ही शामिल होते हैं जबकि मन्त्रिपरिषद् में सभी मंत्री सम्मलित होते हैं। मन्त्रिपरिषद् देश की वास्तविक कार्यपालिका होती है, जिसको कार्यकारी, वित्तीय, वैधानिक आदि शक्तियॉ प्राप्त होती है। 91वें संवैधानिक संशोधन, 2003 के आधार पर यह व्यवस्था है कि प्रधानमंत्रत्री समेत मन्त्रिपरिषद् में सदस्यों की संख्या, लोकसभा के कुल सदस्य संख्या के 15 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकता है। मन्त्रिपरिषद् के गठन एवं कार्य संचालन का स्वरूप निम्न प्रकार है :–

1. प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है।
2. मंत्रीगण राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त (Pleasure of President) अपने कार्य पर बने रहते हैं।
3. मन्त्रिपरिषद् सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं।
4. किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण करने के पूर्व राष्ट्रपति उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है।
5. यदि कोई मंत्री अपना पद ग्रहण करने के बाद 6 माह बाद तक संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं बन पाता है तो उसे अपने मंत्री पद से त्याग पत्र देना पड़ता है।
6. मंत्रियों के वेतन और भत्ते वही प्राप्त होगें, जो समय–समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करे।

7. किसी दलबदलू को मंत्री के पद पर नहीं नियुक्त किया जा सकता।
8. राष्ट्रीय आपात की परिस्थिति में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर कुछ समय के लिए स्वेच्छा से काम चलाऊ सरकार का नेता मनोनीत कर सकता है।

**मन्त्रिपरिषद् की संरचना (Structure of Council of Ministers)** – मन्त्रिपरिषद् में मंत्रियों की श्रेणी को तीन भागों में बॉटा गया है।

1. **कैबिनेट मंत्री** – कैबिनेट मंत्रियों के पास सरकार का महत्वपूर्ण मंत्रालय यथा– गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, वित्त मंत्रालय आदि होते हैं। ये मंत्री अपने विभाग के प्रमुख होते हैं।
2. **राज्यमंत्री** – राज्यमंत्रियों को मंत्रालय/विभाग का स्वतंत्र प्रभार दिया जा सकता है। राज्यमंत्री कैबिनेट मंत्री को सहयोग प्रदान करते हैं। इन्हें कैबिनेट मंत्री के मंत्रालय के विभागों तथा कोई अन्य विशेष कार्य सौंपा जा सकता है। ये कैबिनेट मंत्री की सलाह, देख–रेख और उसकी जिम्मेदारी पर कार्य करते हैं। स्वतंत्र प्रभार (Independent Charge) के मामले में वे अपने मंत्रालय का कार्य कैबिनेट मंत्री के समान ही कार्य करते हैं और पूरी स्वतंत्रता एंव पूरी शक्ति के साथ कार्य करते हैं।
3. **उपमंत्री** – उपमंत्रियों को कैबिनेट अथवा राज्यमंत्रियों के प्रशासनिक, राजनीतिक और संसदीय कार्यो में सहायता के लिए नियुक्त किया जाता है। उपमंत्रियों को मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जा सकता है। उपमंत्री कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं और न ही कैबिनेट की बैठक में भाग ले सकते हैं।

**नोट** – इन सब मंत्रियों के अलावा, मंत्रियों की और एक श्रेणी होती है जिसे संसदीय सचिव कहा जाता है। संसदीय सचिव के पास कोई निश्चित विभाग नहीं होता है। संसदीय सचिव मंत्रियों के साथ उसके संसदीय कार्यो की सहायता के लिए नियुक्त किए जाते हैं।

## मन्त्रिपरिषद् के कार्य एवं शक्तियॉ (Functions and Powers of Council of Ministers)

1. मन्त्रिपरिषद् राष्ट्रीय नीतियों का निर्धारण करता है।
2. सम्पूर्ण देश में शासन संचालन का कार्य मंत्रिपरिषद् के द्वारा किया जाता है।
3. संविधान के द्वारा उच्च पदाधिकारियों को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है लेकिन व्यवहार में इन पदाधिकारियों की नियुक्ति मंत्रिमण्डल द्वारा की जाती है क्योंकि मंत्रिमण्डल के परामर्श पर ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति की जाती है। जैसे – उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक इत्यादि। देश की समस्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक व्यवस्था पर इसका अधिकार होता है।
4. यह प्रशासनिक नियमों का निर्माण भी करती है।
5. यह कानून को लागू करना व व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है।
6. देश की आर्थिक नीति निर्धारित करने का उत्तरदायित्व भी मंत्रिपरिषद् को ही होता है। इनके द्वारा प्रत्येक वर्ष संसद में वित्त मंत्री द्वारा तैयार किया गया बजट लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है।
7. मन्त्रिपरिषद् अनेक विधायन संबंधी कार्य जैसे – विधेयक तैयार करना व संसद में प्रस्तुत करना, संसद सदस्यों के प्रश्नों का जबाब देना, अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है लेकिन व्यवहार में इसका प्रयोग मंत्रिपरिषद् ही करता है।
8. व्यवहारिक तौर पर मन्त्रिपरिषद् देश की सर्वोच्च कार्यपालिका तथा राष्ट्रीय नीति का निर्देशक होता है।
9. मन्त्रिपरिषद् विदेश नीति–निर्माण, वार्त्ताओं पर संचालन, संबधों पर नियंत्रण व क्रियान्वयन का भी कार्य करती है।
10. 44 वें संविधान संशोधन के बाद मंत्रिपरिषद् की लिखित परामर्श के बाद ही राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं।